

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, अकलेरा

क्रमांक :- 1078

दिनांक :- 05/12/25-

श्रीमान उप वनसंरक्षक
झालावाड़, जिला झालावाड़

विषय :- Construction of Road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar
(Proposal No./RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रसंग :- शासन सचिव(वन) राजस्थान सरकार कार्यालय पत्रांक दिनांक 24.01.2024 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि Construction of Road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar में 0.994 हेक्टर वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 18.03.2015 को प्राप्त हो चुकी है। जिसकी बिन्दुवार पालना के क्रम में निम्नलिखित दो बिन्दुओं की अनुपालना चाही गई थी

1. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत (Violation) उल्लंघन की स्थिति एवं अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट अनुपालना के साथ प्रस्तुत करावें।

उक्त प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं सहित पालना रिपोर्ट कार्यालय के पत्र क्रमांक 265 दिनांक 10.07.2025 एवं पत्रांक 635 दिनांक 23.08.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है तथा पुनः भिजवायी जा रही है। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक के पत्रांक 1066 दिनांक 22.02.2024 व संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 5141 दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से पालना रिपोर्ट भिजवा दी गई हैं जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में पत्रांक 7195 दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Jhalawar Project के दौरान निर्माण में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि का समायोजन करने का निर्णय लिया गया था।

कृपया उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर प्रस्ताव में अन्तिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

(डी.एस.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfihalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 1066
निमित्त :-

दिनांक: 22-02-24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of Road from Barodiya to jatamari under RRSMP
(Phase II) in Rajasthan in Dist. Jhalawar.
Proposal no. FP/RJ/ROAD/7757/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of Road from Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Dist. Jhalawar. Proposal no. FP/RJ/ROAD /7757/2018 प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक पत्रांक प. 1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से की सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर द्वारा पत्रांक 64 दिनांक 14.02.2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एअरसी द्वारा मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है।

पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

श्री (वी. शैलन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़
दिनांक: 22-02-24

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 1067-69

- प्रतिलिपि :- 1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज० जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर को देकर लेख है कि बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य के संबंध में की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को मध्य 03 दिवस में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

Photo Copy Attested

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पि० डी० ओ० 15294

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/5141

दिनांक: 04/06/25

प्रति-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, जयपुर, राजस्थान।

विषय:- Construction Diversion of 0.994 Ha. Of forest land for construction of road
Badodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) Rajasthan in District Jhalawar.

संदर्भ:- आपका पत्रांक 676 दिनांक 10.04.2025 के क्रम में।

होदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक
51 (52)वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से प्रदान की गई थी। प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की
प्रस्ताव रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित कर दी गई थी। आप द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत
VIOLATION की स्थिति एवं एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र की प्रति चाही गयी थी।

उप वन संरक्षक, झालावाड के पत्रांक 15082 दिनांक 20.09.2024 से एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र इस
कार्यालय में प्रेषित किया गया था जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 6645 दिनांक 19.11.2024 (प्रति संलग्न) से
आपको पूर्व में भिजवाया दिया गया था। पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Photo Copy Attested



अभिजाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खाण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

भवदीया,
(सोमल जोरिहार)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan)

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No:- 4190-92

Date:- 22-08-24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having inmated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Ad (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.994 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for Construction of Approach road to Barodiya to Jatamari falls within jurisdiction of Gram Panchayat Barodiya Village in Barodiya in Asnawar tehsil.

It is further certified that :-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.994 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub Division Level Committes and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Topal Groups and Pre agricultural communities.

End. As above

District Collector & District Magistrate
Jhalawar

No:- 4190-92

Copy to the Superintending engineer PWD Div. Jhalwarfor N/A

Copy to the Executive engineer PWD Div. Aklera N/A

Date :-
22-08-24

Photo Copy Attested

District Collector & District Magistrate
Jhalawar

अधिसूची अभियन्ता
साठ नि० वि० कच्छ अकादेमी
डी० डी० ओ० 15294

लय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालावाड़ सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्र. एफ 14()2014 / झालावाड़ रोड / एफसीए / प्रमुखसं / 7195 दिनांक 18.08.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 07.08.2023 को 11:00 AM चुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/Road/7609/2014) एप्रोच रोड सांवल्दा की सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त होने की दशा में उसमें जमा राशि को अन्य प्रस्तावों में समायोजित करने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:-

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री चंतन कुमार, उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफसीए।
4. श्री मनमोहन सिंघल, अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. श्री खेमराज, अधिशासी अभियंता, अकलेश, झालावाड़।

उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी अभियंता, अकलेश, झालावाड़ द्वारा प्रेषित वन भूमि प्रत्यावर्तन का एक प्रस्ताव एप्रोच रोड सांवल्दा (FP/RJ/Road/7609/2014) जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2015 को जारी की गई। आवेदक अधिशासी अभियंता, अकलेश, झालावाड़ के नियंदन पर प्रस्तावित राइटा आवश्यक नहीं होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.4.2023 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है। उक्त प्रकरण में यूजर एंजंन्सी द्वारा जमा की गयी राशि 12310000+387639 = 12697639 जमा की गयी है जिसका समायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिशासी अभियंता अकलेश द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी आई.डी. से कुल 7 प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जो निम्नानुसार हैं:-

S. N.	Proposal No	Proposal name	category	area applied (ha)	submitte d date	Status
1	FP/RJ/Road/7478/2014	A/R to Kishorpura Bardiya	Road	0.56	16.10.2014	Pending with UA
2	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	Road	0.95	16.10.2014	In principle
3	FP/RJ/Road/7609/2014	A/R to Sanvalda	Road	0.996	29.10.2014	Cancelled
4	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barcdiya to Jatamari	Road	0.994	29.10.2014	In principle
5	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	Road	0.2	29.10.2014	In principle
6	FP/RJ/Road/13599/2015	Mohanpura to Ganeshpura lodhan	Road	0.984	30.06.2015	Approved
7	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	Road	0.936	15.04.2015	In principle

Photo Copy Attested

अधिशासी अभियंता

अकलेश

जयपुर

वैठक द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा जारी मांग पत्रों के अपने अन्य विचाराधीन प्रस्तावों में निम्नानुसार राशि समायोजित करने के लिए लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो निम्नानुसार है:-

N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	2225688.00	2225688.00
2	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barodiya to Jatamari	3174304.00	3174304.00
3	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	1764576.00	1764576.00
4	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	1709586.00	929810.00
		Total	8874154.00	8094378.00

क0सं0 4 पर अंकित प्रकरण Road from Beenaganj to Balbantpura में राशि 779776 लाख पृथक् से जगा करायी जावेगी। इस प्रकार कुल 12697639.00 में से 8094378.00 का समायोजन किया जावेगा। अवशेष राशि 4603261 का समायोजन झालावाड़ जिले के अन्य प्रस्तावों में निम्नानुसार करने हेतु आग्रह किया एवं कोई अनापत्ति नहीं होने की वचनबद्धता भी प्रस्तुत की गयी।

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/30449/2019	Taraj to tara Devi	1810849.00	1810000.00
2	FP/RJ/Road/7558/2014	A/R Bankheri	2792412.00	2792000.00
		Total	4603261.00	4602000.00

उक्त प्रकरणों में क0सं 1 पर राशि 849.00 एवं क0सं0 2 पर राशि 412.00 पृथक् से जगा करायी जावेगी। उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मांग पत्र वर्तमान श्रमिक दरों के आधार पर एवं एन.पी.वी. की दरों में हुये परिवर्तन के मद्देनजर जारी किये गये हैं।

सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से उपरोक्तानुसार राशि समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम रत्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 14()2014/झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुखसं/ 7296-7201 दिनांक 18-08-2008
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. अधिशाही अभियंता, खण्ड अकलेरा/चौमहला/खानपुर झालावाड़।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Photo Copy Attested

अधिशाही अभियंता
सां नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 152940

क्रमांक : 265

दिनांक : 10/07/25

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :- Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP
(Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of Road From Barodiya to jatamari Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Rajasthan मे 0.994 हैक्टर वनभूमि व प्रत्यावर्तन के हेतु वनअधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के बैठक कार्यवाही विवरण पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
संलग्न- उपरोक्तानुसार



(डी एस बीणा)
अधिकाारी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested



अधिकाारी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पि० डी० ओ० 15294

शुीनुलनु सुषु वनसंरकुषुक
कुललवलड, कुलल कुललवलड

वलषत :- Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP
(Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar ..
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

सनुदरुधु :- आषुकल ढतुर कुरनुलंक एषु ()एषुसुीए/उवसुं/2024/10301
दलनुलंक 19.07.2024 के कुरनुलंक में।

डुहूदत.

उषुरुकुत वलषतनुतर्गत नलवेदन हल कल सनुदरुधुत वलषतकुतनुत ढुरसुतलव डु वन संरकुषुक अधलनलतड 1980 के अनुतर्गत सलडलनुत सुवुकुतल तहत धलरल-2 डु Construction of Road From Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajssthan डु 0.994 हलकुतर हलतु वनडुडुडु व ढुरतुतलवतुतनुत कु ललए FRA Certificate ढतुर के सलथु संलगुन कर अगुरलड एवुं आवशुतत कलरुतलवलही हलतु ढुरसुतुत हल।

संलगुन:- उषुरुकुतलनुसलर

(शुी.एसु.डुीणल)

अधलशुषुी अधलतनुतल
सल.नल.वल. सुषुड अकलुलरल

Photo Copy Attested

अधलशुषुी अधलतनुतल
सलु नलु वलु सुषुड अकलुलरल
शुीु डुीु अंु 152

Date :- 06.03.2023

648

To,

उपवन संरक्षक झालावार

विषय :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्यां FP/RJ/ROAD/7757/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक पं. 1 (52) वन/2016 दिनांक 18.03.2016 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar में 0.994 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की दैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	यद्यक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।

PHOTO COPY ATTACHED

अधिशाही अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

<p>वन के क्षेत्र पर वन विभाग द्वारा दूध से 10 क्यूमी पर 100 क्यूमी तथा 10 से अधिक क्यूमी का घातन प्रमाणित करने वाले क्यूमी का दस गुना संख्या में क्यूमी उपवन एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए जमा की जायेगी।</p>	<p>हॉ जी घातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 8,72,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>																																			
<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथावित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।</p>	<p>हॉ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) 1,08,15,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>																																			
<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 868 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 08.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>हॉ जी एन.पी.वी की रूपये 8,22,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>																																			
<p>उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।</p>	<p>हॉ जी रूपये 1,37,93,586/- राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>																																			
<p>प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि स्लम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।</p>	<p>हॉ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।</p>																																			
<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करार नोटल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन है कि सड़क का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। सड़क निर्माण प्रस्तावित होने पर परिकल्पना कर लयी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक डिस्पोजल नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।</p>																																			
<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.223 को सड़क कार्य हेतु राशि रु 3174304/- सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रु 12997890/- से निम्नानुसार कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड पत्र क्रमांक एफ(एफ.सी.ए./प्रवस/2023/ 9269 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समयोजन कि अनुशासनी है।</p> <table border="1" data-bbox="571 1187 1306 1736"> <thead> <tr> <th>सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं</th> <th>मद</th> <th>रोपित पौधों की संख्या/क्षेत्रफल</th> <th>मांग राशि श्रमिक दर 213/-</th> <th>संग्रह राशि अधिक राशि 289/-</th> <th>पूर्व में जमा राशि</th> <th>शुद्ध देय राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100 क्यूमी का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव</td> <td>100 वृक्ष</td> <td>982936</td> <td>1185213</td> <td>982936</td> <td>212277</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव</td> <td>1240 वृक्ष</td> <td>12188408</td> <td>14820844</td> <td>12188408</td> <td>2632238</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>एन.पी.वी. राशि</td> <td>0.994 हेक्टर</td> <td>622244</td> <td>952033</td> <td>622244</td> <td>329789</td> </tr> <tr> <td colspan="3">योग</td> <td>13793586</td> <td>18897890</td> <td>13793586</td> <td>3174304</td> </tr> </tbody> </table>	सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं	मद	रोपित पौधों की संख्या/क्षेत्रफल	मांग राशि श्रमिक दर 213/-	संग्रह राशि अधिक राशि 289/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि	1	100 क्यूमी का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982936	1185213	982936	212277	2	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	1240 वृक्ष	12188408	14820844	12188408	2632238	3	एन.पी.वी. राशि	0.994 हेक्टर	622244	952033	622244	329789	योग			13793586	18897890	13793586	3174304
सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं	मद	रोपित पौधों की संख्या/क्षेत्रफल	मांग राशि श्रमिक दर 213/-	संग्रह राशि अधिक राशि 289/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि																														
1	100 क्यूमी का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982936	1185213	982936	212277																														
2	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	1240 वृक्ष	12188408	14820844	12188408	2632238																														
3	एन.पी.वी. राशि	0.994 हेक्टर	622244	952033	622244	329789																														
योग			13793586	18897890	13793586	3174304																														
<p>नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।</p>	<p>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</p>																																			
<p>राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोशन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।</p>	<p>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</p>																																			

Photo Copy Attested



अधिसूची अधियन्ता
सह नि 0 वि 0 खण्ड अल्मोरा
डी 0 डी 0 0 15294

र के पत्रांक 7-23/2012/ एकही दिनांक 24.07.2013 से
डीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की
प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को
एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक
समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ
स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को
स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ही जी उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा
हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की
स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई
है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित
करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
सलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के खालान की छायाप्रति
2 वचन बद्धता प्रमाण पत्र


अधिसूचना
सा.नि.वि. खण्ड अकलेश

क्रमांक :- 648

दिनांक :- 05.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना


अधिसूचना
सा.नि.वि. खण्ड अकलेश

Photo Copy Attested


अधिसूचना
सा.नि.वि. खण्ड अकलेश
डी० डी० ओ० 15294

Date :- 13/06/2023

258

To,

वन संरक्षक झालावाड़

विषय :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7757/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक पं. 1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के रूप में

बहोदब,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 से अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar में 0.994 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अप्पर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अप्पर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अप्पर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अप्पर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अप्पर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अप्पर टेकिंग संलग्न है।

Photo Copy Attached

अधिशाही अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकरोरा
डी० डी० ओ० 15294

	अधिकरण के व्यव पर वन विभाग द्वारा शुल्क से 10 वृक्षों के घातन पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का घातन होने पर घातन किये जाने वाले वृक्षों का वन गुण संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी घातन किये जाने वाले वृक्षों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 8,72,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर कबोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) 1,08,15,000/- जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी. की रूपरेखा 8,22,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रुपये 1,37,93,586/- राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सख्य स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोटल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन है कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी प्रानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक प्रस्तावित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	हाँ जी अधिकरण द्वारा धन राशि रुपये 1,37,93,586/- जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। कुल 01,37,93,586/- जिसका भद्रवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव - 8,72,000/- रुपये दिनांक 26.04.2017 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण - 1,08,15,000/- दिनांक 26.04.2017 3. एन.पी.वी. की राशि - 8,22,000/- रुपये दिनांक 26.04.2017 4. सी.ए. की राशि - 3,87,839/- रुपये दिनांक 01.11.2018 5. सी.ए. की राशि - 10,88,947/- रुपये दिनांक 27.06.2019
14	नोटल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 8 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

Photo Copy Attested

अधिकाारी अभियन्ता
सां निं विं छण्ड अकनेरा
की पीं ओं 15294

सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एकता दिनांक 24.07.2013 से
नवीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की
पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को
यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक
समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ
स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को
स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

हो जो उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा
हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की
स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई
है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित
करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. बचन बढ़ता प्रमाण पत्र

क्रमांक :- 258

दिनांक :- 13/06/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधीक्षक अभियन्ता
आधिसा.वि. अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड अकलेश
सी.डी.ओ. 15294

अधीक्षक अभियन्ता
आधिसा.वि. अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड अकलेश
सी.डी.ओ. 15294

Photo Copy Attested

अधिसा.वि. अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड अकलेश
सी.डी.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावार

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अम्बरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1
की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं
किया जायेगा ।

(विमलचन्द मीना)
अधिशाही अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Photo Copy Attested



अधिशाही अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अम्बरटैकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) In Rajasthan In Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2
की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के
अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

प्रमोद चन्द शर्मा
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3
की अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या
से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।

(विमलचन्द मीश्रा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावार

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अम्बरेडकिंग)

**कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

Photo Copy Attested



**अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294**

**(सुभाष चन्द्र मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294**

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) In Rajasthan In Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

Phow Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(प्रमाणित किया गया)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त स. 6 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

Phow Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

खेमराज शर्मा
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा भूज से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का वृक्ष गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000/- रुपये जमा करवा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(खण्ड मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावार

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संशोधित) 1,08,15,000/- रूपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
झी० डी० ओ० 15294

(सुमनन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
झी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamarl under RRSMP (Phase II) In Rajasthan In Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 6,22,000/- रुपये जमा करा दी गई है।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

(खमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावार

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति प्रौद्यारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में 1,37,93,586/- रुपये जमा करा दी गई है।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
सी० डी० ओ० 15294

(विमलचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
सी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamarl under
RRSMP (Phase II) In Rajasthan In Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की
अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुयी धन राशि
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावार

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- **Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) In Rajasthan In Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

Photo Copy Attested

**अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
झी० डी० ओ० 15294**

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
झी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फ़ेज-1 झोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

Photo Copy Attested



**अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294**

(समयन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(संभवतः मीरम)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावार

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अम्बरटैकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की
अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं
पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

अभिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) In Rajasthan In Distt. Jhalawar . (Proposal No. /RJ/ROAD/7757/2014) (0.994 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 22.12.2018 को अक्षरशः प्रकाशित करवायी गयी हैं एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया है।

Photo Copy Attested

(योगेश्वर मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
दिनांक - 24/5/19

श्रीमान् उपवन सरस्वाक
झालावाड जिला झालावाड राज्

**विषय- सम्पर्क सडक बडोदिया से जटामरी अन्धर RRSMP (Phase-II) in Distt.
झालावाड ।**

बहोदब,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हे कि उक्त सडक का संरोधित टिमाण्ड की प्रति 1988/7 00 रु के फण्ड में E-चालान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया हे चालान की प्रति एवं टिमाण्ड की प्रति सलान कर भिजवायी जा रही हे।

प्रमाणित
(एल. वि. वि. वि.)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० पी० ओ० 15294

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

क्रमांक एक () एकसौ/उपवन/2018-20/ दिनांक

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय - Construction of Road from Barodiya to Jatamari under RRSMP
(Phase II) in Rajasthan in Dist. Jhalawar.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7757/2014 की सैदान्तिक स्वीकृति
पत्रांक प. 1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 को कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के कम में विषयवर्तित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of Road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Dist. Jhalawar. में 0.994 हेक्टेयर हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैदान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैदान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है-

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की सैदान्तिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जो कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्तर टैकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा।	हां, जो, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्तर टैकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्तर टैकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हां, जो परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्तर टैकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के विना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग को होंगे।	हां, जो प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की विना पुर्वानुमति के नहीं काटा जाएगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग को होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्तर टैकिंग संलग्न है।

Photo Copy Attested

1236FCA letter

अधिशोधी अभियन्ता

यात्रा निवेदन/उपवन/अन्तर

<p>प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर पुनर्रक्षण की जिम्मेदारी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनकी सरकित रखने की जिम्मेदारी की पुनर्रक्षण की होगी।</p>	<p>हां, जो प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षण की क्षति होने पर पुनर्रक्षण की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनकी सरकित रखने की जिम्मेदारी की पुनर्रक्षण की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को अन्तर टैकिंग संलग्न है।</p>
<p>8. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा मुल्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>पातन किये जाने वाले वृक्षों की वृक्ष प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।</p>
<p>9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जो आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।</p>
<p>9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 686 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 6-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जो कुल राशि ₹ 13792698 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि ₹ 822244 एनपीवी के सम्मिलित है।</p>
<p>10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राप्तिकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।</p>	<p>हां, जो कुल राशि ₹ 13792698 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि ₹ 982938 सम्मिलित है।</p>
<p>11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढेती होती है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जो वचन बद्ध प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।</p>
<p>12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरु डिस्पोजल योजना सप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>सड़क निर्माण में निकलने वाले मल का उपयोग सड़क निर्माण की सिमेंट में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निष्कारण नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तावित सप वन में सड़क निर्माण में बाहर के मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी। जिससे मल निष्कारण की मात्रा घुसक होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न रूप दिया है।</p>
<p>12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 686 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 6-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियाँ निधियाँ प्रतिपूर्ति पोषारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही</p>	<p>अभिकरण द्वारा कुल धन राशि ₹ 7088695 जरिये चारागुं प्रेषित करा दी गयी है। जिसका प्रमाण विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव - 982038/- ₹ 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण 12188408/- ₹</p>

Photo Copy Attested



12977CA letter

अधिकाधी अधियन्ता
सा 10 वि 0 खण्ड अकलेरा
डी 00 जो 0 15294

D/SURVEYC

<p>स्वीकृति की जावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि की बिक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि की अनुपालना आख्या(जिसमें जमा की गयी धनराशि का बंदवार विवरण दर्शाते हुए जमा धनराशि का पूर्ण बंदवार विवरण दिख गया है।)</p>	<p>3. एन.सी.के - 82244 / - 8।</p>
<p>संलग्न अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह यी 8 तारिख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।</p>	<p>उक्त कार्यालय से संबंधित है।</p>
<p>राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबंधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।</p>	<p>उक्त कार्यालय से संबंधित है।</p>
<p>16 भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>जी हाँ, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जायेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है। प्रस्ताव वन की छायाप्रति संलग्न है।</p>

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्न :-
1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति।
 2. बंधन बद्धता प्रमाण पत्र।
 3. समाचार पत्र की प्रति।

नयादीब
(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवस/2019-20/9133 दिनांक: 19-6-19
प्रतिलिपि :- अधिशाही अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को उनके पत्रांक 180 दिनांक 28.05.2019 के काम में सूचनाार्थ प्रेषित है।

lu
उप वन संरक्षक
झालावाड़

Photo Copy Attested झालावाड़

अधिशाही अभियन्ता
सा0 नि0 वि0 खण्ड अकलेरा
सी0 डी0 ओ0 15294

1298FCA Inker

१५

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : 108

दिनांक : 28-5-19

उप वन संरक्षक
झालावाड़

**विषय:- Construction of Road From Barodiya to Jatamari under
RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar .**

**संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7757/2014 श्रीमान् सहायक वन वन
संरक्षक के पत्र क्रमांक प 1 (51) वन /2018 दिनांक 18.03.2018 से पत्र**

श्रीमान्

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयवर्तित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अंतर्गत सम्बन्ध स्वीकृति के तहत घास-2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच. 12 से राज्या अन्धर आर.आर.एस.एन.पी. केन्द्र विद्यमान जिला झालावाड़ में 8 804 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रयावर्तन की स्वीकृति हेतु विन्दुवार सस्पेक्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है-

क्रमांक	विन्दुवार सर्त का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अन्धर टैकिंग सतर्क है।
2.	प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रयावर्तित वन भूमि का प्रयोजन किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अन्धर टैकिंग सतर्क है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अन्धर टैकिंग सतर्क है।
4.	बाधक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अन्धर टैकिंग सतर्क है।
5.	प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिरक्ष्य होने पर वन विभाग के होंगे।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिरक्ष्य होने पर वन विभाग के ही होंगे। अन्धर टैकिंग सतर्क है।
6.	प्रयावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेंन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति / वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होगी पर यूजर एजेंन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेंन्सी की रहेगी। अन्धर टैकिंग सतर्क है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यव पर वन विभाग द्वारा दृश्य से 10 क्यूमी के पातन होने पर 100 क्यूमी तथा 10 से अधिक क्यूमी का पातन होने पर पातन किये जाने वाले क्यूमी का दस गुना संख्या में क्यूमी का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जावेगी।	हाँ जी, पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है। अन्धर टैकिंग सतर्क है।
8.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पट्टे स्थानीय पर कयोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंभव) जमा की जावेगी।	हाँ जी, आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है। अन्धर टैकिंग सतर्क है।

Photo Copy Attested

अधिशाही अभियन्ता
सा 10 नि 0 खण्ड अकलेरा
ओ 0 डी 0 ओ 0 15294

2019
29-5-19

<p>9. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (विदित) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 666 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एक सी.दिनांक 05.02.2008 के तहत में दिये गए आदेशानुसार रुद्र वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित दरों जमा की जावेगी।</p>	<p>डी.जी. राशि का 022244/- रुपये जमा करना ही गयी है।</p>
<p>10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार रुद्र वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी गिनतियाँ प्रतिपूर्ति पीछारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्रकीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAI Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)कॉक-11 भुवाल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जावेगा।</p>	<p>डी.जी. राशि का 13793698/- रुपये जमा करना ही गयी है। जिसमें सी.ए. की राशि का 882988/- रुपये सम्मिलित है।</p>
<p>11. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का बचनबहास प्रमाण प्रस्तुत करेगे कि तद्वान रत्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतारी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।</p>	<p>डी.जी. बचनबहास का प्रमाण प्रस्तुत करने वाला गवाह है।</p>
<p>12. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा एक डिस्पोजल योजना उप बचन संख्या द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करावेगा।</p>	<p>सदक निर्माण में निकलने वाले नई उपकरण सदक निर्माण की फिलिंग में किया जावेगा। इन क्षेत्र में निरस्तन नहीं किया जावेगा। तथा प्रत्यावर्तित धन मुक्ति में सदक निर्माण में बहार से मिट्टी साकर फिलिंग की जावेगी। जिससे एक निस्तारण की रूप होगी। इस रूपमें में प्रमाण पत्र सलंगन कर दिया है।</p>
<p>13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (विदित) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 666 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एक सी.दिनांक 05.02.2008 के तहत में दिये गए आदेशानुसार रुद्र वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी गिनतियाँ प्रतिपूर्ति पीछारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्रकीकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)कॉक-11 भुवाल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की माफती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/ बैंक की छायाप्रति सहित रीटर्नितक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. प्रतिपूर्ति सूचारोपण तथा अन्य हुए जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है) प्रेषित की जाए तदोपरंत ही प्रकरण में विदिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>अधिकरण द्वारा धन राशि 13793698/- रुपये जमा करे जाने से जमा करा ही गयी है। प्रमाणित सलंगन है। कुल 13793698 जिसका सूचारोपण विवरण निम्नानुसार है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 100 यूबो का देयक रुद्र उपकरण = 882988/- 2 नर्ग के छेनी हुए सूचारोपण = 12188800/- 3 एन.पी.वी - 822244/- है।

Photo Copy Attested

अधिसावी अभियन्ता
साठ निठि खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

14.	नैदान अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के अन्तर्गत बाढ़ की 8 तारीख को प्रेषित क्षेत्रीय कार्यालय की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उक्त कार्यालय से सम्बंधित है।
15.	राज्य सरकार द्वारा ही गई वन अनुमति का प्रयोग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उक्त कार्यालय से सम्बंधित है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-83/2012/एकरी दिनांक 24.07.2012 से मानवीय डीन विन्युक्त द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अथवा प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बीडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों की स्वीकृति प्रप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।	ही जो, वन प्रकरण में जारी स्वीकृति को सुजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पत्रों की स्वीकृति प्रप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित कराया ही जायेगी। जो कि दिनांक 28.12.2012 को जारी की गयी है। समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- 1. जमा की गई धन राशि के धालान की छायाप्रति

2. वचन बढ़ता प्रमाण पत्र

3. मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

अधिसाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. जयपुर अकरोरा

क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.पूत झालावाड
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिसाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. जयपुर अकरोरा

Photo Copy Attested

अधिसाधी अभियन्ता
सा.नि.वि. जयपुर अकरोरा
डी.टी.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सा नि वि खण्ड अकलेरा

क्रमांक 302

दिनांक 2/08/2019

श्रीमान उपवन सस्त्रक
झालावाड

विषय: - बिलों के भुगतान जमा होने के कम में

1. Construction of road from Barodiya to Jalamani under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / R/J/ ROAD / 7757 / 2014)
2. Construction of road from NH -12 TO Rojlya sanctioned under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / R/J/ ROAD / 7595 / 2014)
3. Construction of road from NH - 12 Km. 358/500 to Nayagan Bhanpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / R/J/ ROAD / 7759 / 2014)

प्रसंग - श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 (I) 2014 / झालावाड रोड / एफ सी ए / प्रमुखस

- 1 2503 - 04 दिनांक 11.07.2019
- 2 2508 - 07 दिनांक 11.07.2019
- 3 2761 - 62 दिनांक 24.07.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्रों के संदर्भ में नियेदन है कि प्रकाशित तीनो सड़कों का भुगतान टी वी बाउचर्स संख्या 17864 (रोज्या सड़क), टी वी बाउचर्स संख्या 17865 (नयागाव भानपुरा सड़क) टी वी बाउचर्स संख्या 17866 (जटामरी सड़क) से दिनांक 27.08.2019 को कोम्पा फण्ड के खाता संख्या 1508561135982381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडिंग का है भुलवश उसमें जमा हो गयी है जिसके दाम बिल, टी वी बाउचर, व घालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है

Photo Copy Attested

अधिशाही अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

जमा करवायी गय राशि का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	प्रोपजल संख्या व राडक का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमे जमा करवाना था
1.	FP/RJ/ROAD/7757/2014 बडोदिया से जटामारी	1098947.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177570372
2	FP/RJ/ROAD/7595/2014 एनएच 12 से रोज्या	628493.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856175950315
3	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी. से 358/500 से नयागावं भानपुरा	499056.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177590992

अतः श्रीमानु से निवेदन है कि उक्त तीनों सडको की राशि जो कि खाता संख्या 150856113599 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान मे जमा हो गयी है उसको उक्त सडको के खातो मे स्थानान्तरित करवाने का श्रम करे।

भूपदीप
अधिसात्री अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

संलग्न: - याम बिल, टीवी
याउघर व चालान की प्रतियां

क्रमांक 302
दिनांक 2/08/2019
प्रतिलिपि श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर
प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य वन संरक्षक कोटा
प्रतिलिपि श्रीमान अधिक्षक अभियन्ता सा नि वि वृत्त झालापाड

अधिसात्री अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

अधिसात्री अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

कमांक एक
दिनांक

14 () 2014 / झालावाड़ रोड / एक सी. ए. / प्रस्ताव / 2014-20
दिनांक 6-8-19

श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
राजस्थान, जयपुर

विषय Construction of road from Barodiya to Jatamari
under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal
NO FP/RJ/ROAD/7757/2014) @ गुगताम जमा कराने @
संबंध में

प्रमाण - श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर को पत्र
कमांक एक 14 () 2014 / झालावाड़ रोड / एक सी. ए. / प्रस्ताव / 2014-20
दिनांक 11.07.2019।

कारण

उपरोक्त विषयान्तर्गत एम आरके प्रासंगिक पत्र के सदर में निवेदन है कि अधिकांश
अधिकांश एम नि नि खण्ड अकलेरा में अपने पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2018 (प्रति संलग्न)
द्वारा अवगत करवाया है कि उक्त सड़क की राशि टी वी चाउघर संख्या 17886 दिनांक 27.08.2018 को
कमांक ए.ड के खाता संख्या 1508561136992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है चुकाने जमा
हो गई है जिसके बाम बिल टी वी चाउघर व चालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	प्रस्ताव संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता संख्या का बिल संख्या
1	FP/RJ/ROAD/7757/2014 बरौदिया से जटमरी	086947	1508561136992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	180856177570372

अतः श्रीमान को निवेदन है कि बरौदिया से जटमरी सड़क की राशि प्रो कि खाता संख्या
1508561136992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गई है उसको इस सड़क के खाता संख्या
150856177570372 में स्थानान्तरित करवाने का भ्रम करे।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

प्रमाणित
(गणेशपुरा इलाका)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कमांक एक () दिनांक / 2019-20 /
प्रतिनिधि अधिकांश अधिकांश एम नि नि खण्ड अकलेरा को सूचनाएं प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

Photo Copy Attested

अधिसाक्षी अधिकांश
सं नि नि खण्ड अकलेरा
डी डी ओ 15294

कार्यालय अधिराषी अभियन्ता सा नि वि खण्ड अकलेरा

क्रमांक 302

दिनांक 2/08/19

धीमान उपवन संरक्षक
झालावाड

विषय: - बिलो के भुगतान जमा होने को क्रम में

1. Construction of road from Barodiya to Jalainani under RBSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / R/J/ ROAD / 7757 / 2014)
2. Construction of road from NH -12 TO Rojiya sanctioned under RBSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / R/J/ ROAD / 7595 / 2014)
3. Construction of road from NH - 12 Km. 358/500 to Nayagaon Bhanpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / R/J/ ROAD / 7759 / 2014)

प्रसंग - श्रीमान प्रधान मुख्य-वन संरक्षक (II/Off) राजस्थान जयपुर को पत्र क्रमांक एफ 14 0 2014 / झालावाड रोड / एफ सी ए / प्रमुख

1. 2503 - 04 दिनांक 11.07.2019
2. 2508 - 07 दिनांक 11.07.2019
3. 2761 - 62 दिनांक 24.07.2019

बहोदय .

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रस्तावित पत्रों के राशुर्गा में निवेदन है कि उपरोक्त बिलों सहित
का भुगतान टी वी बाउचर संख्या 17064 (रोज्या राडय), टी वी बाउचर संख्या
17205 (ग्यागाव गानपुरा सडक) टी वी बाउचर संख्या 17866 (पदाधरी सडक) से
दिनांक 27.08.2019 को कम्पा कम्प के आता संख्या 1508501135992381 से
मोहनपुरा से गरीशपुरा लीडान पर उ गानपुरा उराने जमा-पी गंधी है जिसके धाम
दि. टी वी बाउचर, व धामान की प्रति पत्र क्र. साथ सहित है

FCA

6/8/2019

Copy Attest

अधिराषी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा
डी 0 डी 0 ओ 15294

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है

क्र	प्रत्यक्ष सख्या व तहक का नुम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता सख्या	खाता जिसमे जमा करवाया गया
1	FPI/RJ/ROAD/7757/2014 बहोदिया से जटानारी	1066947.00	150856113569281 मोहनपुरा रो. गणेशपुरा लोडान	150856177570372
2	FPI/RJ/ROAD/7595/2014 एनएव 12 से राज्या	628493.00	150856113569281 मोहनपुरा रो. गणेशपुरा लोडान	150856175950315
3	FPI/RJ/ROAD/7759/2014 एनएव 12 किमी रो. 358/500 से नयागाव मानपुरा	496056.00	150856113569281 मोहनपुरा रो. गणेशपुरा लोडान	150856177590992

अतः श्रीमान् स नियेदन है कि उक्त तीनों सडकों की राशि जो कि खाता सख्या 150856113569281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गयी है उसको उक्त सडकों के खाता में स्थानान्तरित करवाने का अग्र-द्वेष।

अभिषेक अभियन्ता

श्री नि. वि. एच. अकलेरा

सदरानुसार काम निरदिष्टी
याप्यर व मिलान की प्रतिमा

दिनांक
प्रतिलिपि श्रीमान् मुख्य मुण्डा वगैरे
प्रतिलिपि श्रीमान् मुख्य मुण्डा वगैरे
प्रतिलिपि श्रीमान् मुख्य मुण्डा वगैरे

(Hold) स्थान पर

Copy Attested

अभिषेक अभियन्ता
श्री नि. वि. एच. अकलेरा
फोन नं. 230 15294

खण्डितप के ज्ञापनी

Reference No : 24300001

Government Of Rajasthan
Public Investment Board

Date of Issue: 24/06/2019
Class: 10000

Dated: 24/06/2019
Bill No: 1000047.00

Bill No: 1000047.00	Reference No: 1762977	Work Reference No: 001 of 10
Division Code: 100	DDO Code: 10073	
Demand No: 01	DDO Code: 10004	
Object Head: 01	Budget Head: 2004-01-000-00-01-07/1	
NonPlan: 0.00	NA: 0.00	

Payee Name: ER BN PWD AKLERA
 To: The Treasury/Sub Treasury Officer AKLERA
 Please Order to pay ₹ 1000047 as per the claim contained in this bill
 Sign of Clerk

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the genuineness of claim that the claimed bill is placed in accordance with rules and that all bills particulars details mentioned in work bills are correct and all parties/ firms are entitled for such payment and that amount is not available in the budget/L.C.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sl. No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date (in Case of Supplier)	Gross Amt Net Amt
1	CORPORATION BANK LODHI COMPLEX BRANCH BLOCK 11 CGO COMPLEX PHASE 1 LODHI ROAD NEW DELHI 110003 8400622074	CORPORATION BANK 150856115889281 CORP000371 Lodhi Road, New Delhi	1/11/2008 12:00:00 AM	1000047.00 1000047.00

Gross Amount Rs. 1000047.00
 Net Amount Rs. 1000047.00
 Amount in Words: TEN LAH 01 NINETY SIX THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY SEVEN ONLY

For Accountant General, DDO
 Admitted ₹
 Disputed ₹

Pay ₹ No: 1000047.00
 (in Words) SEVEN ONLY
 S.T. Heads: Amount
 Head: Amount
 Total (in Cash) ₹: 1000047.00
 (in Words): TEN LAH 01 NINETY SIX THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY SEVEN ONLY

Author: AADAM
 Treasury/Sub Treasury Officer

Disclaimer: All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for a
 2007 Country Mobile information center. Rajasthan State (Govt) Management raj no 04 Group Name 2004 VIT
 Forward Time 24/06/2019 12:34 PM
 End Date & Time 24/06/2019 12:34 PM

Photo Copy Attested

अभिशाषी अभियन्ता
 साठ निठ बिठ खण्ड अक्लेरा
 डीठ डीठ ओठ 15294

बजट के लिये

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jaipur

Form RWRA 28

Sl No. & Date:

Sl Ref No.: 10873, Dated: 24/05/2019

Division Name: E/Leng purd Div-Aldera, Division Code: 15294
Sub Division Code:

Reference No

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special form 26 and 28 are suitable)

Work: Barodiy to Jatamari

Vendor Name: CORPORATION BANK

Sanction/Autorization/Bd No: Dated:

Budget Head: 3854-04-800-02-01-21-V-P

Resort:

Bank Details: Account No. - 150858113589281, IFSC Code: CORP000371

Total amount payable to the contractor or supplier in Figures: 10,96,947 (In Words): Rupees Ten Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundred Forty Seven Only

Deductions/Recoveries:

Sl No.	Head Code	Head Detail	Amount
Net Amount Payable in Figures: 10,96,947 (In Words): Rupees Ten Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundred Forty Seven Only			

Received from sum of Rs..... (Rupees.....) on account of (Work Name) purpose

Certified that:

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

Signature of DA with seal

For use in Disposal Office

अधिसूची अधियन्ता
सा ० नि ० वि ० सण्ड अकलेरा
डी ० डी ० ओ १५२९४

Photo Copy Attested

अधिसूची अधियन्ता
सा ० नि ० वि ० सण्ड अकलेरा
डी ० डी ० ओ १५२९४

AGENCY COPY

RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

24-09-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177578372
MoEF/SG File No.	1(52)FOREST/2018
Location.	RAJASTHAN
Address.	PWD Dn. Almera, Jaipur
Amount(In Rs)	1000047/-

Amount in Words Ten Lakh Twenty Six Thousand Nine Hundred and Forty Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name.	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177578372 <small>Valid only for this challan amount</small>
Bank Name & Address.	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for this amount

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-09-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177578372
MoEF/SG File No.	1(52)FOREST/2018
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Dn. Almera, Jaipur
Amount(In Rs)	1000047/-

Amount in Words Ten Lakh Twenty Six Thousand Nine Hundred and Forty Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177578372 <small>Valid only for this challan amount</small>
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for this amount

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

Back

[Handwritten Signature]
24/9/2019

Photo Copy Attested

[Handwritten Signature]

अधिसाक्षी प्रमाणिका
सां नि० दि० अ० अ०
डी० डी० अ० 15294

राजस्थान सरकार
वन विभाग
जयपुर दिनांक 18.03.2015

संख्या : EP/RJ/ROAD/7757/2014

Construction of Road From Barodiya to Jalamari under RRSMP
(File II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar.

वन विभाग के अधीन निर्माणाधीन प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत
वन क्षेत्र के अंतर्गत घाट-2 में वन भूमि अत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन
अधीक्षक (पर्यावरण) के आदेश पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार के वन सचिव के पत्र
दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत घाट-2 में सामान्य
प्रस्ताव under RRSMP

(File II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar. में 0.994 हेक्टर हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन
के लिए निम्न शर्तों के अधीन प्रस्ताव की जाती है-

1. वन की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्ताव वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. प्रस्तावित उक्त परियोजना अन्तर्गत घाटन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक
पेड़ों का घाटन नहीं किया जायेगा।
4. वनविभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की
शहरीय एवं टीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण
के उचित उपाय किये जायेंगे।
5. प्रस्तावित क्षेत्र में स्थापित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में
किसी भी प्रकार के अतिक्रमण होने पर वन विभाग के होंगे।
6. प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास में वनभूमि/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर वृक्ष
रखने की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सूजर की होगी।
7. प्रस्तावित परियोजना के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के घाटन होने पर 100 वृक्षों
का घाटन होने पर घाटन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों
का घाटन एवं 10 वर्ष तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान
प्रस्तावित नग्न के दोनो ओर रिक्त पट्टे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं
आवश्यक वनभूमि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंभव) जमा

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार यह वर्तमान मूल तथा दूसरी सभी विधिवत प्रक्रियाओं के तहत
प्रयोज्य तथा योजना प्रयोज्य के तहत राजस्थान राज्य CAF Rajasthan SB0102575
कॉम्प्लेक्स डीक (भारत सरकार का उपकरण) को-11 नूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।

11. प्रयोक्ता अधिकरण इस कार्य का दस्तावेज प्रस्तुत करने कि तदनंतर ही नदी/खेत
की दरों में वृद्धि होती है जो वही वृक्ष वन क्षेत्र प्रयोज्य अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
12. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नव निर्माणाधीन योजना के अंतर्गत द्वारा स्वीकृत वृक्षों का
अधिकरण द्वारा के अंतर्गत की प्रक्रिया को दुरुस्त एवं प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा
आवश्यक वनभूमि उपलब्ध करायेगा।
13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटोरन (चिटिने) 202/2009 के
अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एन.पी.वी. 05.02
2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार यह वर्तमान मूल (एन.पी.वी.) का अंतर्गत प्रतिक्रिया
पीछोरोपण विधि प्रदत्तन प्रयोज्य प्रक्रिया के तहत निकाय कॉम्प्लेक्स डीक नई दिल्ली
का उपकरण) को-11 नूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 रोड नई दिल्ली-11003 में जमा
राशि की पावती की छाया प्रति जन की नयी वनभूमि का बैंक ड्रॉप/ बैंक की वनभूमि सहित
सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या जिसके अन्तर्गत नयी वनभूमि का बैंक ड्रॉप/ बैंक की वनभूमि
एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा वनभूमि का पूर्ण नक्का दस्तावेज दिया जा
प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त यह की 5 वर्षों के अन्तर्गत
क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रयोजन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को हेतु स्यावरण
मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एन.पी.वी. दिनांक 24.07.2013 से नानाई प्रो.ट्रैक्टर
द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की घातन प्रकरण में सुनिश्चित की गई तथा प्रकरण
में जारी स्वीकृति को वृक्ष एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले वनभूमि पत्रों में
अक्षर प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल वॉलेंट फंडेशन इंग्लिश पत्रिका
के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति में 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें।
उपरोक्त सभी शर्तों पर पूर्ण एवं विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही स (चरित्रक)
अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नूतन/क्षेत्र
का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व ही की जायेगी।

Photo Copy Attached

Scanned with CamScanner
दिनांक 18.03.2015 15:27:59

File No.1-29/2015-CAMPA
 Government of India
 Ministry of Environment Forests & Climate Change
 National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
 Email: adhoc-campa-mef@nic.in

Block No.3, 4th Floor
 Hall No.1, CGO Complex
 Lodhi Road, New Delhi-110003
 Dated: 01st June, 2023

To,
 The Assistant General Manager
 Union Bank of India
 FCS Bangalore Branch
 Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियम के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में की गयी भुगतान राशि को पुनर्स्थापित करने भारत

- (i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)
- (ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)
- (iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897743		617520372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897732	150856113599281	6175920315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897730		61775920992

Photo Copy Attested

अधिसूची अधिनियम
 मा० ति० वि० लखनऊ
 की पी० ओ० 15294

act: as above

Yours faithfully.

(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004

Photo Copy Attested



अधिकाारी अधिपन्ना
सा० नि० वि० खाण्ड अकरोमा
डी० डी० ओ० 15294

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

4190-92

Date: 22-08-24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having inmated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Ad (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.994 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for Construction of Approach road to Barodiya to Jatamari falls within jurisdiction of Gram Panchayat Barodiya Village in Barodiya in Asnawar tehsil.

It is further certified that :-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.994 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee/s), Sub Division Level Committes and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Topal Groups and Pre agricultural communities.

End. As above

District Collector & District Magistrate
Jhalawar

No:- 4190-92

Copy to the Superintending engineer PWD Div. Jhalwar for N/A
Copy to the Executive engineer PWD Div. Aklera N/A

Date :-
22-08-24

District Collector & District Magistrate
Jhalawar
Photo Copy Attested

**जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की दिनांक 22.08.2024 को प्रातः
10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मामूली) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 22.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति झालावाड की बैठक जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें संलग्न सूची के अनुसार पदाधिकारीयों ने भाग लिया, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उपखण्ड अधिकारी झालावाड, असनावर, अकलेरा व गंगधर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सम्पर्क सड़क नयागांव भानपुरा ग्राम पंचायत खेडला खसरा नं. 105 में 2000 वर्गमीटर = 0.20 हेक्टेयर, सम्पर्क सड़क बडौदिया से जटामरी ग्राम पंचायत बडौदिया खसरा नं. 497, 529, 530, 528, 155, 99, 98 में 9940 वर्गमीटर = 0.994 हेक्टेयर एवं सम्पर्क सड़क रोज्या ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरान खसरा नं. 651/240, 650/236, 235, 649/234 में 9500 वर्गमीटर = 0.95 हेक्टेयर, सम्पर्क सड़क बानीखेडी ग्राम पंचायत डोडी खसरा नं. 383, 364, 363, 383 में 5200 वर्गमीटर = 0.52 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र में आती है। जिसमें उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, झालावाड, असनावर, अकलेरा व गंगधर द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणों का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है ना ही वन क्षेत्र में कोई दावा लम्बित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार प्रस्तुत निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने की अभिशंका की जाती है।

क्र.सं.	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उपखण्ड क्षेत्र	खसरा नं०	डायवर्जन के लिए बाधित भूमि	किस्म
1	सम्पर्क सड़क नयागांव भानपुरा	खेडला	असनावर	105	2000 वर्गमीटर = 0.20 हेक्टेयर	गं.मु.सड़क खातेदार PWD
2	सम्पर्क सड़क बडौदिया से जटामरी	बडौदिया	असनावर	497, 529, 530, 528, 155, 99, 98	9940 वर्गमीटर = 0.994 हेक्टेयर	गं.मु.सड़क खातेदार PWD
3	सम्पर्क सड़क रोज्या	बोरखेडी गुजरान	अकलेरा	651/240, 650/236, 235, 649/234	9500 वर्गमीटर = 0.95 हेक्टेयर	गं.मु.सड़क खातेदार PWD
4	सम्पर्क सड़क बानीखेडी	डोडी	गंगधर	383, 364, 363, 383	5200 वर्गमीटर = 0.52 हेक्टेयर	गं.मु.सड़क खातेदार PWD
				Total	26640 वर्गमीटर = 2.664 हेक्टेयर	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड

उपवन संरक्षक
झालावाड

जिला कलेक्टर
झालावाड

क्रमांक : वन अधिकारी अधिनियम /

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, झालावाड
2. उपवन संरक्षक, झालावाड
3. उपखण्ड अधिकारी झालावाड, असनावर, अकलेरा व गंगधर
4. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. झालावाड
5. अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा / चौमहला
6. रक्षित पत्रावली

दिनांक :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, झालावाड

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी.डी.ओ. 15294

दिनांक 02/02/2024 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति असनावर की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	दायवर्जन के लिए बांँित भूमि
1	बडौदिया	497	बडौदिया	210 sqm = 0.021 Hect.
2	बडौदिया	529	बडौदिया	4130 Sqm = 0.413 Hect.
3	बडौदिया	530	बडौदिया	414 Sqm = 0.014 Hect.
4	बडौदिया	528	बडौदिया	3360 Sqm = 0.336 Hect.
5	जटामरी	155	बडौदिया	1260 Sqm = 0.126 Hect.
6	जटामरी	99	बडौदिया	210 Sqm = 0.021 Hect.
7	जटामरी	98	बडौदिया	630 Sqm = 0.063 Hect.
			कुल	9940 Sqm = 0.994 Hect.

PHOTIC COPY Attested


 क्षेत्रीय वनाधिकारी
 असनावर (झालावाड)


 विकास अधिकारी
 पंचायत समिति झालारापाटन


 उपखण्ड अधिकारी
 असनावर (झालावाड)

उपखण्ड अधिकारी
 झालावाड (राज.)

अधिकाशाधी अधिपयन्त्र
 सगो नि० वि० खण्ड अखण्ड
 फोन नं० ३१० १५२९४

11/6/21
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत बरौदिया
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत बरौदिया

11/6/21
 ग्राम पंचायत बरौदिया
 ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत बरौदिया

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	क्षेत्रफल
1	बरौदिया	497	बरौदिया	210 sqm = 0.021 Hect
2	बरौदिया	529	बरौदिया	4130 Sqm = 0.413 Hect
3	बरौदिया	530	बरौदिया	414 Sqm = 0.014 Hect
4	बरौदिया	528	बरौदिया	3360 Sqm = 0.336 Hect
5	जटापरी	155	बरौदिया	1260 Sqm = 0.126 Hect
6	जटापरी	99	बरौदिया	210 Sqm = 0.021 Hect
7	जटापरी	98	बरौदिया	630 Sqm = 0.063 Hect
			कुल	9940 Sqm = 0.994 Hect ✓

दिनांक 11/6/21 को उपरोक्त स्थानों पर जांचकरी जांच की गई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नलिखित वन भूमि पर अज्ञेय/विनाश/अन्य उपयोग के लिए बरौदिया (अधिकारी) ग्राम पंचायत बरौदिया को 2008 की धारा 3(1) के अन्तर्गत 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा नहीं है।

Photo Copy Attested

अधिसूचना अधिनियम
 सं० 11/6/21
 सं० 15294

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 1066
निमित्त :-

दिनांक: 22-02-24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of Road from Barodiya to jatamari under RRSMP
(Phase II) in Rajasthan in Dist. Jhalawar.
Proposal no. FP/RJ/ROAD/7757/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of Road from Barodiya to jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Dist. Jhalawar. Proposal no. FP/RJ/ROAD /7757/2018 प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक पत्रांक पृ. 1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से की सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर द्वारा पत्रांक 64 दिनांक 14.02.2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा लीक पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है।

पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(वी. प्रेमचंद कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक: 22-02-24

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 1067-69

प्रतिलिपि :- 1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज० उपवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, असनावर को देकर लेख है कि बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य के संबंध में की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को मंग 03 दिवस में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

Photo Copy Attested

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
उ० डी० ओ० 15294